न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 39 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

1. अमृतलाल पिता श्री चेनाराम ब्राहमण, निवासी बिच्छीवाड़ा, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)
2. के ुलाल पिता श्री चेनाराम ब्राहमण, निवासी बिच्छीवाड़ा, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)
3. चप्पालाल पिता श्री चेनाराम ब्राहमण, निवासी बिच्छीवाड़ा, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)
4. फतहलाल पिता श्री चेनाराम ब्राहमण, निवासी बिच्छीवाड़ा, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती गंगाबाई पत्नी श्री चेनाराम ब्राहमण, निवासी बिच्छीवाड़ा, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. आबीद हुसैन पिता श्री अली मोहम्मद बोहरा, निवासी बिच्छीवाड़ा, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी झाडोल
दिनांक 03.09.2019 प्र.सं. 24 / 2011

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री सुरे ाचन्द्र त्रिवेदी अभिभाशक अपीलान्टगण
2– श्री हर्शद जो ाी अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3– श्री कमले ा चौहान राजकीय अभिभाशक रे.सं.2

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 18–10–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिछीवाड़ा, तहसील झाड़ोल में साबिक आराजी नंबर 1504 रकबा 3 बिस्वा व 1505 रकबा पौने 2 बीघा, जिसके हाल आराजी नंबर 2075 रकबा 0.2700 हैक्टर हैं। उक्त भूमि चेनाराम पिता परथा जी ब्राहमण की खातेदारी की थी, जो साबिक आराजी चाह नंबर 1511 जिसके हाल नंबर 2070 हैं, से पीवल होकर उक्त कुंए में उसका एक माह में 4 दिन का वारा था। चेनाराम जी को सरकारी कर्जे की कि त उतारने के लिए रूपयों की आव यकता होने से उपर वर्णित आराजियात मय चाह में निहित वारे सहित वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03–06–1977 को बिल एवज 4500/– रूपये में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर का त करता चला आ रहा है, किन्तु चेनाराम के नाम भूमि बैंक के रहन दर्ज होने से राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम अंकित नहीं हो सकी, जबकि विक्रय कर दिये जाने से विक्रेता का कोई हक अधिकार भोश नहीं रहा, किन्तु राजस्व रेकार्ड में उसके नाम बनी रहने से उसकी मृत्यु के प चात उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हो गयी, जिससे वे भूमि स्वयं की बताकर झगड़ा करने लगे तथा वर्श 2008 माह जुलाई में वादी के हज यात्रा पर जाने से उसकी पीठ पीछे फसल बो दी व नाजायज रूप से काबिज हो गये, जो अतिक्रमी होने से उन्हें मौके से बेदखल करने का वादी अधिकारी है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित विवादित आराजियात का वादी को खातेदार घोशित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कब्जा हटाकर वादी को सुपुर्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा खण्डन का जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी एवं उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 03–09–2019 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:49 IST
Reason: SelfAttested

रूश्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17–09–2019 प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री हर्शद जो ाी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपील ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों एवं राजस्व नियमों के विपरीत डिक्री जारी की है। अधिनस्थ न्यायालय ने वर्श 1977 की सेल डीड के आधार पर डिक्री जारी कर दी, जबकि अपीलान्टगण के पिता द्वारा भूमि का कभी विक्रय ही नहीं किया गया है। इन्हें पिता के जीवनकाल में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने हमारे पक्ष में सही डिक्री जारी की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हें 5 बार मौका दिया गया तथा तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित किया गया, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बयनामा प्रद र्ा 1 अनुसार वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित आराजियात का रजिस्टर्ड क्रय दिनांक 22–06–1977 को तादादी 4500/– रूपये में अपीलान्टगण के पिता चेनाराम से किया गया है। उक्त विक्रय पत्र में कब्जा सिपुर्द किये जाने का भी अंकन है, जिसे वादी ने बयानों से भी साबित कराया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 424 जो प्रद र्ा 3 है, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकृत हुआ है, किन्तु भूमि रहन होने से अमल दरामद नहीं किया गया। रेस्पोन्डेन्ट/वादी ने बयानों से यह भी साबित कराया है कि वर्श 20[illegible] सके हज यात्रा पर जाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:49 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्टगण द्वारा उसकी पीठ पीछे भूमि पर जबरन कब्जा कर कांगणी की फसल बो दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकीवार विवेचन में उक्त सभी तथ्यों का विवेचन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है, जो प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–09–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:49 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

अमृतलाल पिता चेनाराम जी ब्राहमण, निवासी बिछीवाड़ा, तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर व अन्य बनाम **आबीद हुसैन पिता अली मोहम्मद बोहरा, नि.बिछीवाड़ा, तह.झाड़ोल, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**39 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **झाडोल** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**09**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**....माह.....**10**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री सुरे ाचन्द्र त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री हर्शद जो ाी** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–09–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**10**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:49 IST
Reason: SelfAttested